उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्याः–464–औस / 2016–19(125)ए0एस0 / 2001 दिनांकः 03 फरवरी, 2016

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के त्रुटिपूर्ण विघुतीय अधिष्ठापन के सम्पर्क में आने से बाहरी व्यक्तियों व पशुओं की घातक एवं साधारण दुर्घटना से हुई अपंगता पर अनुग्रह धनराशि अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप संख्या–2400–औसं / 2008–19(125)ए0एस0 / 2008 दिनांक 19.06.2008 में निम्नवत् संशोधन तत्काल प्रभाव से किये जाते है :–

1. घातक मानवीय विद्युत दुर्घटना में रू0 1,00,000 / – के स्थान पर रू0 2,00,000 / – प्रति व्यक्ति।
2. पूर्ण अपंगता की स्थिति में रू0 1,00,000 / – के स्थान पर रू0 2,00,000 / – तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में अधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रमाणित अपंगता प्रतिशत के आधार पर रू0 2,00,000 / – का अनुपातिक धनराशि प्रतिशत आर्थिक सहायता अनुग्रह राशि के रूप में।
3. पशुओं की घातक विद्युत दुर्घटना के सम्बन्ध में "राज्य आपदा मोचन निधि" (उत्तर प्रदेश) के अनुसार निम्न धनराशि सहायता हेतु अनुमन्य किया गया :–

दुधारू पशु

1. भैंस / गाय / ऊँट / याक आदि रू0 16,400 / – की दर से।
2. भेड़ / बकरी रू0 1,650 / – की दर से।

दुधारू पशुओं के अतिरिक्त पशु

1. ऊँट / घोड़ा / बैल आदि रू0 15,000 / – की दर से।
2. बछड़ा / गधा / खच्चर रू0 10,000 / – की दर से।

यह सहायता आर्थिक रूप से उपयोगी पशुओं तक ही सीमित होगी। सहायता की परिसीमा 1 बड़े दुधारू पशु या 4 छोटे दुधारू पशु अथवा एक बड़े कृषि या दो छोटे कृषि पशु प्रति घरेलू इकाई की दर से देय होगी (वास्तविक क्षति राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिये)।

अन्य शर्ते व प्राविधान यथावत् रहेंगे। उक्त आदेश दिनांक 03.02.2016 अथवा इसके उपरान्त होने वाली विद्युत दुर्घटना के प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभावी होगें।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,
निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

.....2..... / –

संख्याः–464–औस / 2016 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. समस्त प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल / पश्चिमाँचल / मध्याँचल / दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, केस्को / वाराणसी / मेरठ / लखनऊ / आगरा / कानपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड को इस आशय से कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अधिनस्थ अधिकारियों / इकाईयों को उपलब्ध करा दें।
5. समस्त उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
7. महाप्रबन्धक, लेखा एवं सम्प्रेक्षा, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
9. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी / कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
10. अनुसचिव, कार्मिक वित्त नीति, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
11. कारपोरेशन (मु0), शक्ति भवन के समस्त अधिकारी / अनुभाग / शिविर।
12. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट **WWW.uppcl.org** पर लोड करने हेतु।
14. कट फाइल / पत्रावली संख्या–8–एम / 92।

Nat Mathur 3.2.16

(नवनीत माथुर)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी